(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 744–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2013 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 283/अपील/2010–11.

चरणलाल आत्मज रामप्रसाद मिर्धा
निवासी वार्ड कमांक 07 सुल्तानपुर
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

जगदीश प्रसाद आत्मज शंकरलाल चौकसे
निवासी ग्राम खपरिसा खापा
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
हाल मुकाम सुल्तानपुर
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदक

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर, रायसेन के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि कस्बा सुल्तानपुर स्थित एक प्लाट 60x30 वर्गफीट में निर्मित दो कमरे एवं खुला क्षेत्रफल 30 x25 वर्गफीट, जिसमें कुंआ शामिल है, उसके द्वारा कय किया जाकर दिनांक 19–9–91 को नामांतरण करा लिया गया था, बाद में आवेदक द्वारा फर्जी रूप से दिनांक 16–11–95 को अपना नामांतरण करा लिया गया है, अतः आवेदक का नामांतरण निरस्त किया जाकर अनावेदक का नाम दर्ज

किया जाये । कलेक्टर द्वारा जॉच कराई जाकर दिनांक 21–9–2007 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के दोनों नामांतरण निरस्त करते हुए प्रकरण विधिवत उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार, गौहरगंज द्वारा दिनांक 31–7–2010 को आदेश पारित कर अनावेदक के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–6–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 29–10–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 28–11–2016 को अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाते हुए आदेश पारित किया गया है, और इस वैधानिक स्थिति पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का प्रश्न निहित है, जिसके निराकरण का अधिकार मात्र व्यवहार न्यायालय को है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक आदेश नहीं होकर मात्र प्रशासनिक आदेश है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, अतः पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक का नामांतरण करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत नामांतरण के संबंध में आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को देखने से यह स्थिति भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा पारित आदेश प्रशासनिक निर्देशों की श्रेणी में आते हैं, और नगर पालिका अधिनियम एवं प्रशासनिक आदेशों के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, और न ही अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप की अधिकारिता है । अतः इस निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर